न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 32/17 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. खेमचन्द पुत्र नन्ताराम जाति जाट निवासी नंगलाडूंगर तहसील किशनगढबास हाल निवासी मकान नम्बर 34, रतननगर, गुलाब देवी रोड, जालन्धर (पंजाब)

:------ अपीलांट

बनाम

1 प्रेमनाथ पुत्र नन्तराम जाति जाट निवासी नंगलाडूंगर
2 हेमराज पुत्र नन्तराम जाति जाट निवासी नंगलाडूंगर
3 शांतिदेवी पुत्री नन्तराम पत्नि गिरधारीलाल जाट निवासी ग्राम बाघोर
4 जीतो देवी पुत्री नन्तराम पत्नि देवेन्द्र जाट निवासी चिकानी
5 गीता देवी पुत्री नन्तराम जाति जाट निवासी किथूर
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैंड होल्डर किशनगढबास
7 उपखंड अधिकारी किशनगढबास

:----- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री उपखंड अधिकारी किशनगढबास दिनांक 4.1.2017

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री संजीव जैन

2. वकील रेस्पो0 1से5 :– श्री गोविंदराम यादव

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक 18/9/2018

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, किशनगढबास द्वारा राजस्व वाद संख्या 132/14 में पारित निर्णय पारित निर्णय दिनांक 4.1.2017 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0 टी0 एक्ट प्रारम्भिक तौर पर डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 241 रकबा 44 एयर, 774 रकबा 32 एयर, 812 रकबा 20 एयर, 845 रकबा 20 एयर, 847 रकबा 04 एयर, 849/1102 रकबा 06 एयर, 891 रकबा 09 एयर, 900 रकबा 15 एयर, 953 रकबा 48एयर ग्राम नंगलाडूंगर तहसील किशनगढबास वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ला0 5 को पिता नन्तराम के देहान्त के बाद विरासत में प्राप्त हुई । जिसमें सभी पक्षकारान का 1/6, 1/6 हिस्सा निहित है । सभी पक्षकारान शामलात में काश्त कर रहे हैं । अभी तक विवादित भूमि का विधिवत रूप से तकासमा नहीं हुआ है । अब शामलात में काश्त करना मुश्किल हो रहा है । आये दिन झगडे फसाद होता रहता है । अतः तकासमा किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद प्राथमिक तौर पर डिक्री किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि आराजी पहले से ही मौके पर बटी हुई है, इसलिये तकासमा की कोई जरूरत नहीं थी । विद्वान तहत न्यायालय ने गलत तौर पर यह अंकित कर दिया कि पक्षकारान तकासमा कराने पर सहमत हैं । मैंने कोई सहमति नहीं दी थी । मैंने वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत किया था । ऐसी स्थिति में तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये था । इसके अलावा प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा में यह अंकित किया गया था कि वाद पत्र में अंकित आराजीयात के अलावा पक्षकारान की सह खातेदारी की अन्य आराजी भी है । ऐसी स्थिति में तहत न्यायालय को इन सभी आराजीयात का मौके एवं रिकार्ड के अनुसार तकासमा करना चाहिये था । तहत न्यायालय का निर्णय विभाजन के नियमों के प्रतिकूल है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहसके समर्थन में आर0 आर0 टी0 2016 (2) पेज 966 का हवाला दिया ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि सभी पक्षकारान सहमति से तकासमा कराने पर राजी हुये थे । इसलिये तनकीवार निर्णय पारित करने की जरूरत नहीं थी । हम जिन आराजीयात का तकासमा कराना चाहते थे, उन्हें ही वाद पत्र में अंकित किया गया था । अभी कुर्रे कायमी रिपोर्ट तैयार होनी है । इसके बाद तहत न्यायालय में पक्षकारान की आपत्तियां आमंत्रित होनी है । अगर इनको किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो तहत न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं । इनको अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है । प्राथमिक डिक्री पारित करने में विभाजन के नियमों की पूर्णतया पालना की गई है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । प्रस्तुत अपील में पूर्व में दिनांक 11.2.2017 को निर्णय पारित किया जाकर प्रकरण तहत न्यायालय को रिमांड किया गया था । अदालत हाजा द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 11.2.17 के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई थी, जो निर्णय दिनांक 23.2.2018 द्वारा स्वीकार की जाकर प्रकरण अदालत हाजा को इस निर्देश के साथ रिमांड किया गया है कि सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब कर उसका अवलोकन कर विधिवत निर्णय पारित करें । अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये निर्देशों के पालना में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये तहत न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर निर्णय पारित किया जा रहा है ।

6 तहत न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड के अनुसार वाद पत्र में अंकित विवादित आराजीयात पक्षकारान की शामलाती खातेदारी में अंकित है । प्रतिवादीगण संख्या 1 ला0 5 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था कि तथाकथित आराजी विवादित के अलावा पक्षकारान को उनके पिता स्व0 नन्तराम के देहान्त के बाद आराजी खसरा नम्बर 473, 797, 813, 850/1102, 923 वाके ग्राम नंगलाडूंगर तहसील किशनगढबास विरासत में मिली है, किन्तु वादी ने उक्त आराजी को दावा में शामिल नहीं किया है । जब प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा में यह अंकित कर दिया था कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजीयात के अलावा पक्षकारान शामलात खाते की अन्य भूमियां भी है तो ऐसी स्थिति में तहत न्यायालय को चाहिये था कि इन

भू-प्रबन्ध
राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर

Scanned by CamScanner

आराजीयात के बारे में भी किसी प्रकार का निर्णय पारित करते । जैसा कि विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर 2016 (2) पेज 966 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि सम्पूर्ण आराजीयात का विभाजन होना चाहिये । विद्वान तहत न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में यह भी अंकित किया है कि पक्षकारान तकासमा के लिये सहमत है । परन्तु पक्षकारान द्वारा तहत न्यायालय में किसी प्रकार की सहमति अथवा राजीनामा आदेश 23 नियम 03 के परिप्रेक्ष्य में विधिवत रूप से प्रस्तुत ही नहीं किया गया है । इसके अलावा जब प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया गया था तो तहत न्यायालय को चाहिये था कि आदेश 14 नियम 01 सी0 पी0 सी0 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में तनकियात विरचित करते । तत्पश्चात आदेश 20 नियम 05 सी0 पी0 सी0 के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार निर्णय पारित किया जाना चाहिये था । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने उपरोक्त सभी प्रकियाओं की अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नहीं है । लिहाजा हम प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमांड किया जाना उचित समझते हैं ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 4.1.2017 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि वादी द्वारा अंकित खसरा नम्बरान के अलावा जवाब दावा में अंकित किये गये अन्य खसरा नम्बरान को भी विवादित भूमियों में शामिल करें । तत्पश्चात दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकियात कायम कर प्रत्येक तनकी पर उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुये तनकीवार निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 16.11.2018 को उपस्थित हों ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner